

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ राज.
दिनांक:- / / 2016

क्रमांक:- भू.अ. / 2016 /
प्रेषिति.

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी गहोदय
चित्तौडगढ

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी / प्रार्थीयान श्री नानूराम अहीर पिता उकार अहीर नि.
रामारवेडा प.ह. तुम्बाडिया के राजस्व ग्राम रामारवेडा में जमाबन्दी संवत् 2078 -
2081 की खाता संख्या 55, 53 में जाति / नाम दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.
ने सम्मानजनक जाति / नाम नानूराम पिता उकार किये जाने की रिपोर्ट की है।
सम्मानजनक जाति / नाम नानूराम पिता उकार का अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जाना
उचित है। दोनों जातियां (पूर्व एवं वर्तमान संशोधन से संबधित जाति) अनुसूचित जाति
श्रेणी के ही अन्तर्गत आती है / दोनो नाम एक ही व्यक्ति के है।
जाति संशोधन की स्थिति में राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42
(बी) का उल्लंघन भी नहीं होता है। अतः संशोधन किया जाना उचित है।

fdw
तहसीलदार चित्तौडगढ

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ राज.

क्रमांक:- रीडर / 2016 / 104 B
निमित्त: तुम्बाडिया

दिनांक:- / / 2016
18/12/2015

पटवार हल्का तुम्बाडिया

विषय:- सम्मानजनक जाति / नाम दर्ज करने बाबत।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 136
प्रार्थना पत्र प्रार्थी / प्रार्थीयान के अनुसार श्री नानूराम अहीर पिता उकार अहीर
राजस्व ग्राम रामारवेडा प.ह. तुम्बाडिया की खाता संख्या 55, 53 में
जाति / नाम नानूराम पिता उकार दर्ज है। जिसे सम्मानजनक करने हेतु रिपोर्ट जांच व
पहचान प.ह. व भू.अ.नि. द्वारा की गई है। तहसीलदार चित्तौडगढ द्वारा भी जाति / नाम
सम्मानजनक किये जाने की अनुशंसा प्राप्त हुई है।

अतः प्रार्थी / प्रार्थीयान श्री नानूराम अहीर पिता उकार अहीर की
जाति / नाम नानूराम पिता उकार एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136 के तहत संशोधित दर्ज
करने की स्वीकृत रिपोर्ट द्वारा दी जाती है। प.ह. तुम्बाडिया राजस्व रिकार्ड में
उपरोक्तानुसार अंकन की पालना पेश करें।

उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ

प्रतिलिपि:- तहसीलदार चित्तौडगढ पालना सुनिश्चित करें।

उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ

का नाम :- रामारवेडा
पटवार हल्का

644
1025